Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
रोशनलाल पुत्र हरीराम जाति यादव निवासी 1 एलएम तहसील अनूपगढ़
बनाम
नरेन्द्रसिंह पुत्र जुगलसिंह जाति बैद निवासी जयपुर द्वारा बैद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरस जयपुर जिला जयपुर आदि
किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.—115 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। अपीलांट ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उक्त प्रार्थना पत्र खण्डन करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण बहस पर है, जिसमें अब किसी तरह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का सम्पूर्ण रिकार्ड तलब किया जा चुका है। अब रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य सिद्व नहीं होता है। प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन इंतकाल के संबंध में तहसीलदार को सम्पूर्ण रिपोर्ट बाबत मार्गदर्शन चाहा गया है जिसकी नकल हेतु अपीलांट ने आवेदन किया है। इस संबंध में हस्तगत पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण रिपोर्ट बाबत मार्गदर्शन बाबत कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है। प्रकरण अब अन्तिम बहस पर है। ऐसी स्थिति मे हम साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वकील अपीलांट ने फार्म न. 3 के साथ पटवारी हल्का हल्का 3 एनडी की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2023 पेश की। चूंकि उक्त रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण दर्ज होने के पश्चात पेश की गई है। अतः उक्त पठन योग्य नहीं है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता मृतक हरीराम ने मूल आवंटी जुगलसिंह से जरिये इकरारनामा खरीदशुदा है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील में वर्णित कृषि भूमि में अपीलांट का मृतक हरीराम का विधिक वारिस होने के नाते हित निहित है जो अपीलांट व उसके भाईयों के अधिकार व आधिपत्य में चली आ रही है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण में अपीलांट सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। अतः अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान करे। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र का खण्ड़न करते हुए कोई आपत्ति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अपील भूमि अपीलांट के पिता मृतक हरीराम की मृत्यु पश्चात अपीलांट का कब्जा कास्त है। प्रकरण में अपीलांट सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कोई आपत्ति पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट दिनांक 25.09.2022 को अपने रकबा का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु तहसील कार्यालय में पहुंचे तब अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र का खण्ड़न करते हुए कोई आपत्ति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। जैर अपील रकबा में अपीलांट के हित निहित है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोषजनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है इसलिए हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तहसील अनूपगढ़ के चक 1 एलएम का मुरब्बा न. 23 पत्थर न. 462/476 के किला न. 1 ता 20 की 5.060 है0 व मुरब्बा न. 23 पत्थर न. 262/476 के किला न. 21/2 से 25/1 की 1.012 है0 कमाण्ड मय खाला मृतक जुगलसिंह पुत्र अनुपसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मूल आवंटी जुगलसिंह की मृत्यु हो चुकी है रेस्पोडेंट संख्या 1 व इसके अलावा भी जुगलसिंह के वारिस है। जुगल किशोर की मृत्यु होने के उपरांत रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरास्तन इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की । जुगलसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त कृषि भूमि जरिये करार पत्र दिनांक 11.07.1977 को मुख्त्यारनामा के प्रकाश में अपीलांट के पिता हरीराम को बैचान कर दी। जिसकी विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ में प्रस्तुत किया जो खारिज होने पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में सिविल फर्स्ट अपील संख्या 197/1998 प्रस्तुत की गई जो अभी भी विचाराधीन है। उक्त अपील प्रस्तुत होने के उपरांत अपीलांट के पिता की मृत्यु हो गई। अपील में वर्णित भूमि का कब्जा इकरारनामा के पश्चात ही अपीलांट के पिता का उनके जीवनकाल में रहा तथा उनके देहान्त उपरांत अपीलांट व उसके भाईयों का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय में अपील जैरकार रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने विरास्तन इंतकाल दर्ज करने हेतु जेर अपील आदेश पारित कर दिया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत जहां तक हक अधिकार एवं टाईटल का प्रश्न सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो तो सिविल न्यायालय के निर्णय तक नामांतरण की कार्यवाही की जानी न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश कतई गलत, विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी की है। अतः उपरोक्त [illegible] के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपील निर्णय खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी [illegible] में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील इकरारनामा दिनांक 11.07.1977 के आधार पर पेश की गई है, इस संबंध में अपीलांट के पिता हरीराम द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में सिविल फर्स्ट अपील संख्या 197/1998 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25.09.2000 को निरस्त फरमाई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

गई। माननीय उच्च न्यायलय के सिंगल बैंच के आदेश दिनांक 25.09.2000 के विरूद्व डीबी स्पेशल अपील संख्या 36/2000 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 01.03.2011 को पुनः सिंगल बैंच को रिमाण्ड़ की गई। वर्तमान में अपीलांट की ओर से अपील माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार है। हस्तगत अपील का आधार इकारारनामा दिनांक 11. 07.1977 है जो सिविल न्यायालय द्वारा मियाद बाहर मानकर सिविल वाद निरस्त कर दिया गया है। ईकारारनामा के आधार पर कोई राईट एण्ड टाईटल हासिल नहीं होता है। ना ही अपीलांट को इकरारनामा के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकलस्टेण्डी नही है। अधीनस्थ न्यायालय इस कृषि भूमि के खातेदार का विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो नियमानुसार सही पारित किया है, क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि आज भी मृतक जुगलसिंह के नाम से दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में जेर अपील रकबा अपीलांट के पिता जुगल सिंह के नाम दर्ज है। जैर अपील रकबा के स्वामित्व के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है, माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा सिविल वाद संख्या 64/92 (1174/98) में यह स्पष्ट फाईडिंग दी है कि वादी बतौर अतिक्रमी कृषि भूमि पर काबिज है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार ही पारित किया गया है। पैरोकार राज ने राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का 3 एनडी की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 अनुसार जमाबंदी संवत 2069-72 में जैर अपील भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक 1 एलएम का मुरब्बा न. 23 पत्थर न. 262/476 के किला न. 1 ता 20 की 5.060 है0 व मुरब्बा न. 23 पत्थर न. 262/476 के किला न. 21/2 से 25/1 की 1.012 है0 कमाण्ड मय खाला मृतक जुगलसिंह पुत्र अनोपसिंह के नाम गैरखातेदार दर्ज है। लेकिन मौके पर सोहनलाल रोशनलाल मोहनलाल पि. हरीराम का कब्जा है। रेस्पोडेंटस उक्त रकबा पर मुख्त्यारनामा आम व अपने पिता हरीराम के पक्ष में किये गये इकरारनामा के आधार पर जैर अपील रकबा पर काबिज है। चूंकि अपीलांट के पिता हरीराम द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में सिविल फर्स्ट अपील संख्या 197/1998 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25.09.2000 को निरस्त फरमाई गई। माननीय उच्च न्यायलय के सिंगल बैंच के आदेश दिनांक 25.09.2000 के विरूद्व डीबी स्पेशल अपील संख्या 36/2000 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 01.03.2011 को पुनः सिंगल बैंच को रिमाण्ड़ की गई। वर्तमान में अपीलांट की ओर से अपील माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार है। परन्तु कोई स्थगन प्रभावी नहीं है। अपीलांट द्वारा जैर रकबा पर अपना स्वामित्व (Title) संबंधित दस्तावेजात भी पेश नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रकरण में नियमानुसार ही समस्त कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner